

फर्द अहकाम

(नियम 26)

त S.O South मुकाम Jodhpur
शमलाल बोरणा बनाम सरकार
मा 15/12/21 प्रा.पत्र नं. 80 सन 22

ख म हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

22/2/22 प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया मूल पत्रावली तलब की जाकर पत्रावली दिनांक 25/2/22 को पेश हो। @pameal

25/2/22 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया की प्रशासन गांवों के जंग अभियान 2021 शिविर पालासनी में प्रार्थी शमलाल बोरणा बनाम सरकार प्रा पत्र अन्तर्गत धारा 136 LR Act स्वीकार किया गया था जिसके निर्णय में खसरा नं. 614 का रकबा 07 बीघा 01 बिस्वा के स्थान पर सद्वन में 07 बीघा 10 बिस्वा लिखा गया। अतः निर्णय पुनर्विचार किया जावे। प्रा पत्र व मूल पत्रावली का अवलोकन किया गया। निर्णय दिनांक 14/12/21 में सद्वन में 07.10 बीघा लिखा गया जिसे शुद्ध किया जाना आवश्यक व अनिवार्य है। अतः प्रार्थी का प्रा पत्र स्वीकार किया जाकर रजिस्टर प्रार्थना पत्र संख्या 79/2021 शमलाल बोरणा पि सुतराराम बनाम राजस्थान राज्य नरिप वधमालदार प्रा पत्र अन्तर्गत धारा 136 श्र. राज. अधिनियम वास्तु रेकर्ड पुनर्विचार के आदेश दिनांक 14/12/21 के अन्तिम पैरा में खसरा संख्या 614 का रकबा 07.10 बीघा के स्थान पर 07.01 बीघा में संशोधित किया जावे। संशोधन मूल आदेश में अंकित किया जावे। पत्रावली फंसल शुभा होकर नयी मूल पत्रावली हो। @pameal

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर (दक्षिण)